न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री नरेन्द्र कुमार मीना
आर०ए०एस०

वाद संख्या:- 6/2019.

सुरजाराम वगैरह v/s जगदीश आदि

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53 व 188 आर०टी०एक्ट

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-7 नियम 11(क)(घ)
जाब्ता दीवानी सहपठित धारा 207 राज० काश्त० अधिनियम,
1955

उपस्थिति:-

1. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 व 2
2. श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से
3. श्री रामकृष्ण सैनी, अभिभाषक प्रतिवादीगण 3 व 4.

दिनांक 9-1-2020

निर्णय

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी जगदीश वगैरह की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-7 नियम 11(क)(घ) जाब्ता दीवानी सहपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत दिनांक 25/3/2019 को न्यायालय दावा में इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत वाद कृषि विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 2101-0123 वाके ग्राम म्हारखुर्द स्थित आराजी खसरा नम्बर 2049/0.07 है० ऑ०मु० वाद बाबत चल सम्पत्ति के कानूनी बंटवारा व विद्युत विच्छेद नहीं करने हेतु राजस्व न्यायालय से अनुतोष चाहा है, जो विधि विरुद्ध है एवं माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा वाद-पत्र सम्बन्धित कानून की पूर्ति नहीं करता है। राजस्व न्यायालय केवल उन्हीं वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखते हैं, जिनका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में तृतीय अनुसूची की वर्णितानुसार के अंकन हो, जबकि हस्तगत वाद-पत्र ....(2)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

6/2019

लावा पेश किया गया है, जिस कारण धारा 207 आर०टी० एक्ट, 1955 के अनुसार
भी वाद-पत्र विधि से वर्जित होने से इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य
है।

2. प्रस्तुत वाद-पत्र में जिस विद्युत सम्बन्ध बाबत विभाजन चाहा है, उस
बाबत फर्जीकारी कर विद्युत सम्बन्ध चालू करवाने पर वादीगण के खिलाफ
एफ० आई० आर० नम्बर 44/2017 में दफा-420, 467, 468, 471, 120B भा०
द० संहिता के तहत माननीय न्यायालय ए०सी० जे०एम० शाहपुरा में चार्जशीट
पेश हुई है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार
सहखातेदारान को वाद में आवश्यक पक्षकार भी नहीं बनाया गया है तथा
प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित आराजी खसरा नम्बर 2049/0.07
ऊ०मु० चाह के खातेदार भी नहीं है, इसके बावजूद सहखातेदारान के अलावा
बिना खातेदार काश्तकारों का पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थीगण/प्रति० के
विरुद्ध किसी भी प्रकार का वादकारण पैदा नहीं होता है। उक्त आराजी
मुतनाजा खसरा नम्बर 2049/0.07 ऊ०मु० चाह सहित अन्य खसरा नम्बरान
बाबत घोषणा खातेदारी का दावा ब-उनवानी सुगनादेवी बनाम सूरज वगैरह
व अन्य वाद ब-उनवानी सूरजमल बनाम जगदीश वगैरह एवं जगदीश बनाम
सूरजमल आदि भी न्यायालय हाजा में विचारणीय है, ऐसी सूरत में भी वादीगण
का वादपत्र काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वादीगण का
वाद-पत्र मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावे। अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन
में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया।

3. अप्रार्थीगण/वादीगण सूरजाराम वगैरा की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र
प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए
शेष तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए दावा पोषणीय होना जाहिर
करते हुए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना-पत्र आदेश-7 नियम-11 सी०पी०
सी० के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करने के कारण मय हर्जा-खर्चा खारिज किये
जाने की प्रार्थना की।

4. जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना-पत्र
में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वाद-पत्र के तथ्यों व
सार का मूल्यांकन करने पर वादीगण मुख्य रूप से विद्युत सम्बन्ध जो कि
चल सम्पत्ति की परिभाषा में आता है, के विभाजन हेतु अनुतोष से सम्बन्धित
वाद है, जो केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही सुना जा सकता है। इस कारण वाद-पत्र

-③

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा

खारिज किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में हमारा ध्यान न्यायिक दृष्टान्त RRD 1988 पेज 391 की ओर आकृष्ट किया।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने इसका खण्डन करते हुए अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

6. हमने उभयपक्षों के अभिवचनों पर विचार किया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को देखा।

7. अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रश्नगत वाद-पत्र कृषि विद्युत कनेक्शन के बंटवारा करवाने एवं इसका रिकार्ड खाता संख्या-2001-0123 वाले ग्राम म्हारगुर्ड के ... वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा में अमल-दरामद करवाने तथा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाहने बाबत पेश किया गया है। अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा उक्त अनुतोष धारा-53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसरण में चाहे हैं, जबकि उक्त प्रावधानों में केवल कृषि भूमि के सहखातेदारों एवं सहकाश्तकारों के मध्य उनकी सहखातेदारी की भूमि का विभाजन करने का प्रावधान है। विद्युत कनेक्शन का बंटवारा किन प्रावधानों के तहत किया जाता है, इसका वाद-पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या-3 व 4 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के विशेष कथन नम्बर-7 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विद्युत कनेक्शन का निगम के नियमों के तहत बंटवारा नहीं किया जा सकता है। विद्युत कनेक्शन दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है तथा विद्युत भार हार्सपावर घटाया व बढ़ाया जा सकता है। अप्रार्थीगण/वादीगण के उपभोक्ताओं की सहमति से विद्युत कनेक्शन ... न्यायालय द्वारा सक्षम नहीं है तथा न ही वाद-पत्र में चाहा गया अनुतोष के लिए न्यायालय द्वारा ... वादीगण को दावा करने का किसी प्रकार का कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। इसका न तो विरोध व अप्रार्थीगण/वादीगण एवं इनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका खण्डन किया गया एवं ना ही न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं विद्युत कनेक्शन के बंटवारा करवाने के सम्बन्ध में कोई कानूनी प्रावधान उद्धृत किया। इस प्रकार दावा विधि से वर्जित होना प्रकट होता है।

8. उभय पक्षों का यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि उक्त आराजी मुरब्बा के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य न्यायालय द्वारा में अन्य वाद-पत्र विचाराधीन होना तथा माननीय सिविल न्यायालय में अभियोग संख्या 44/2017 दर्ज होने पर कार्यवाही जारी है। इससे जाहिर है कि तथाकथित विवादित विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय में प्रतिवाद विचाराधीन है तथा राजस्व न्यायालय को विद्युत कनेक्शन का बंटवारा करने एवं उसमें उपभोक्ताओं को ... का क्षेत्राधिकार निहित नहीं है। इसलिए वाद-पत्र विधिक बाधित ...

--(5)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला ...)
सत्यमेव जयते

6/2019

अप्रार्थीगण के द्वारा न तो धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसरण में उनकी सहखातेदारी की कृषि भूमि का विभाजन चाहा गया है तथा ना ही आराजी मुतनाजा के सभी सहखातेदारों को आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है, अपितु प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बिना सहखातेदार काश्तकार के ही आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। इस प्रकार वाद पत्र आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित होने के कारण भी विधि से वर्जित होने के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

9. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-7 नियम 11 (क) (घ) जाब्ता दीवानी सहपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/वादीगण का दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. टीनेन्सी एक्ट, 1955 विधि से वर्जित होने तथा पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 9-1-2020 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते